

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ0 बजट आवंटन-19/2014-158 (आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 03-11-2014

Fax/Mail

प्रेषक,

रामजी सिंह,

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

कृषि निदेशक,

बिहार, पटना।

विषय:

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वर्ष 2014-15 अन्तर्गत चावल, गेहूँ, दलहन एवं मोटा अनाज कार्यक्रम के लिए कुल 9000.00 लाख रुपये, वाणिज्यिक फसल अन्तर्गत पाट फसल के लिए 67.00 लाख रुपये एवं गन्ना फसल के लिए 88.10 लाख रुपये की लागत पर केन्द्रांश मद में 9155.10 लाख रुपये एवं राज्यांश मद में 22.50 लाख रुपये, इस प्रकार कुल 9177.60 लाख (एकानवे करोड़ सतहत्तर लाख साठ हजार रुपये मात्र) की लागत से कार्यक्रम कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा इसके अधीन तत्काल केन्द्रांश मद में 6003.15 लाख (साठ करोड़ तीन लाख पन्द्रह हजार) रुपये एवं राज्यांश मद से 22.50 लाख (बाईस लाख पचास हजार) रुपये इस प्रकार कुल 6025.65 लाख (साठ करोड़ पच्चीस लाख पैंसठ हजार) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु केन्द्रांश मद में ₹22,77,35,000 (बाईस करोड़ सतहत्तर लाख पैंतीस हजार रुपये) एवं राज्यांश मद में ₹22,50,000 (बाईस लाख पचास हजार रुपये) कुल ₹22,99,85,000 (बाईस करोड़ निनान्चे लाख पचासी हजार रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-328, दिनांक-22.10.2014 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वर्ष 2014-15 अन्तर्गत चावल, गेहूँ, दलहन एवं मोटा अनाज कार्यक्रम के लिए कुल 9000.00 लाख रुपये, वाणिज्यिक फसल अन्तर्गत पाट फसल के लिए 67.00 लाख रुपये एवं गन्ना फसल के लिए 88.10 लाख रुपये की लागत पर केन्द्रांश मद में 9155.10 लाख रुपये एवं राज्यांश मद में 22.50 लाख रुपये, इस प्रकार कुल 9177.60 लाख (एकानवे करोड़ सतहत्तर लाख साठ हजार रुपये मात्र) की लागत से कार्यक्रम कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा इसके अधीन तत्काल केन्द्रांश मद में 6003.15 लाख (साठ करोड़ तीन लाख पन्द्रह हजार) रुपये एवं राज्यांश मद से 22.50 लाख (बाईस लाख पचास हजार) रुपये इस प्रकार कुल 6025.65 लाख (साठ करोड़ पच्चीस लाख पैंसठ हजार) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। इस स्वीकृत राशि के अंतर्गत व्यय हेतु केन्द्रांश मद में ₹22,77,35,000 (बाईस करोड़ सतहत्तर लाख पैंतीस हजार रुपये) मात्र एवं राज्यांश मद में ₹22,50,000 (बाईस लाख पचास हजार रुपये) मात्र अर्थात् कुल ₹22,99,85,000 (बाईस करोड़ निनान्चे लाख पचासी हजार रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹22,99,85,000 (बाईस करोड़ निनान्चे लाख पचासी हजार रुपये) मात्र में से ₹22,77,35,000 (बाईस करोड़ सतहत्तर लाख पैंतीस हजार रुपये) का व्यय केन्द्रांश मद में बजट शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म उपमुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-102-खाद्यान्नों की फसलें -मांग सं०-1-उपशीर्ष-0201-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड-P2401001020201, के अंतर्गत विषयशीर्ष-31 04-सहायक अनुदान- वेतन मद में उपबंधित ₹2,00,00,000 रुपये (दो करोड़) में से व्यय हेतु ₹80,00,000 (अस्सी लाख रुपये) एवं विषयशीर्ष-3106 सहायक अनुदान -वेतनादि के अलावा मद में उपबंधित ₹72,84,25,000 रुपये (बहत्तर करोड़ चौरासी लाख पच्चीस हजार रुपये) में से व्यय हेतु ₹21,97,35,000 (इक्कीस करोड़ सन्तानवे लाख पैंतीस हजार रुपये) की निकासी वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल उपबंधित राशि ₹74, 84,25,000 (चौहत्तर करोड़ चौरासी लाख पच्चीस हजार रुपये) में से विकलनीय होगा।

शेष ₹22,50,000 (बाईस लाख पचास हजार रुपये) का व्यय राज्यांश मद में बजट शीर्ष - 2401 फसल कृषि कर्म-उपमुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-102-खाद्यान्नों की फसलें मांग सं०-1-उपशीर्ष-0301-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड-P2401001020301, के अंतर्गत विषयशीर्ष-3106 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में व्यय हेतु ₹22,50,000 (बाईस लाख पचास हजार

मनीष

रूपये) की निकासी वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपबंधित ₹10,00,00,000 (दस करोड़ रुपये) में से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561वि०(2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-6720 दिनांक-25.07.2014 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरंत बाद टी०भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन

(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव
कृषि विभाग बिहार, पटना।

ज्ञापांक

158(आवंटन)

/कृ०, पटना, दिनांक 03-11-2014

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रामजी सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव
कृषि विभाग बिहार, पटना।

ज्ञापांक

158(आवंटन)

/कृ०, पटना, दिनांक 03-11-2014

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी/वित्त विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव कृषि के आप्त सचिव/निदेशक उद्यान, बिहार पटना/निदेशक, (पी०पी०एम०)/निदेशक, भूमि संरक्षण/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन/निदेशक, बामेति, बिहार पटना/कुलपति, रा०कृ०वि०वि०, पूसा समस्तीपुर/कुलपति, बिहार कृषि वि०वि०, सबौर भागलपुर/नोडल पदाधिकारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि विभाग/नोडल पदाधिकारी, राष्ट्रीय खाद सुरक्षा मिशन कृषि विभाग/संबंधित परियोजन निदेशक, आत्मा/संयुक्त कृषि निदेशक, (योजना) बिहार पटना/उप कृषि निदेशक, (प्रसार)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/सभी संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० प्रबंधक, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

(रामजी सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव
कृषि विभाग बिहार, पटना।